राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

निर्णय

एकल पीठ सिविल प्रथम अपील संख्या : 16/1996

Ram Babu Gupta (Since Deceased), through his Legal Heir :

1/1. Smt. Asha Gupta W/o Late Rambabu Gupta, by Caste Mahajan Khendelwal aged about 57 years, R/o Plot No.4/226, Jawahar Nagar, Jaipur

--Appellant/Defendant

Versus

Shri Vishnu Kumar Badhaya S/o Shri Harinarayan Ji, by-caste Khendelwal Mahajan, aged about 42 years, R/o Plot No. 937, Ram Nagar, Amani

-- Respondent/Planitiff

निर्णय दिनांक 22 सितम्बर, 2016

माननीय न्यायाधिपति श्री महेन्द्र माहेश्वरी

उपस्थित :

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अमिताभ जाटव

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता श्री आर.के.अग्रवाल।

अपीलार्थी/प्रतिवादी की ओर से यह अपील विद्वान अपर जिला न्यायाधीश, क्रम-2, जयपुर नगर, जयपुर द्वारा व्यवहार वाद संख्या 93/94 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.95, जिसके तहत प्रत्यर्थी/वादी का वाद विरूद्ध अपीलार्थी/प्रतिवादी बाबत वसूली रुपये आंशिक रूप से डिक्री किया गया था, के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

दोनों पक्षों के निवेदन के आधार पर अपील पर आज ही सुनवाई की गई।

अपीलार्थी/प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत

किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.12.95 विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है। उनका यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी से ली गई राशि को पुनः एक बार 30,000/—रूपये तथा तत्पश्चात् चैक द्वारा 20,000/— कुल मिलाकर 50,000/—रूपये चुका दिये गये हैं। उनका यह भी कथन रहा है कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने कुल 50,000/— रूपये की राशि बकाया होने के तथ्य को स्वीकार किया है लेकिन फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने 20,000/—रूपये की राशि की ही अदायगी मानी है और 30,000/—रूपये मय ब्याज बकाया होने के क्रम में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जो विधि के प्रावधानों के प्रतिकूल है। उनका यह भी कथन रहा है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को जिस व्यक्ति के माध्यम से राशि की अदायगी की गई थी, उसे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष डी.डब्ल्यू. 2 के रूप में साक्ष्य में परीक्षित करवाया गया है किन्तु उसकी साक्ष्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रमाणित नहीं माने जाने का भी कोई कारण निर्णय एवं डिक्री में अंकित नहीं किया है, अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को अपास्त किया जावे।

प्रत्यर्थी के योग्य अधिवक्ता का कथन रहा है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को पुनः राशि लौटाये जाने के क्रम में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में नहीं है तथा इस आधार पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, वह न्यायोचित है तथा ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जावें।

दोनों पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुना गया एवं विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गये अभिवचनों की रोशनी में विरचित विवाद्यकों के क्रम में पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य की रोशनी में

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया हैं, उसके कम में इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दू यह है कि :–

"आया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 3 के कम में हरिशंकर राजोरिया के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी को राशि लौटाने के कम में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य की रोशनी में निष्कर्ष निकालते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, वह अपास्त किए जाने योग्य है?"

उपरोक्त बिन्दू के निस्तारण के कम में, जहां तक पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यात्मक स्थिति का प्रश्न है, प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद के तथ्यों के अनुसार प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को 50,000/–रूपये जरिये चैक दिए गये तथा दस–दस हजार रूपये हरिशंकर राजोरिया के माध्यम से दिए गये एवं तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा 20,000/– रूपये की राशि दिनांक 28.12.89 को अदा कर दिए गये तथा बाकी राशि अदा नहीं की, इस प्रकार अपीलार्थी पर कुल 50,000/–रूपये असल बकाया होने तथा उस पर 18,700/–रूपये ब्याज होना बताते हुए कुल 68,700/– रूपये की वसूली बाद डिक्री पारित किए जाने का अनुतोष चाहा।

प्रतिवादी/अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जवाब दावा में 20,000/– रूपये की राशि हरिशंकर राजोरिया के माध्यम से प्राप्त किए जाने से इंकारी की गई एवं यह भी प्रकट किया कि वादी/प्रत्यर्थी को 20,000/–रूपये जरिये चैक दिनांक 25.12.89 को अदा कर दिए गये एवं 30,000/–रूपये नकद दिनांक 14.9.89 को हरिशंकर राजोरिया के माध्यम से भुगतान कर दिए गये थे। ऐसी स्थिति में वादी/प्रत्यर्थी का दावा खारिज किए जाने की प्रार्थना की गई।

दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/प्रतिवादी को मात्र ही 50,000/–रूपये की राशि प्रत्यर्थी/वादी द्वारा दिए जाने के तथ्य को प्रमाणित माने जाने के कम में वादी/प्रत्यर्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एकल

पीठ सिविल प्रथम अपील संख्या 149/1996 प्रस्तुत की गई थी, जो आज ही उपशमित होने के परिणामस्वरूप खारिज की जा चुकी है।

प्रतिवादी/अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये अभिवचनों को प्रमाणित करने हेतु मौखिक साक्ष्य में स्वयं के कथन डी.डब्ल्यू. 1 के रूप में तथा साक्षी हरिशंकर के कथन डी.डब्ल्यू. 2 के रूप लेखबद्ध करवाये गये। डी. डब्ल्यू. 1 के रूप में प्रतिवादी/अपीलार्थी ने हरिशंकर के माध्यम से बकाया राशि 30,000/–रूपये का भुगतान वादी/प्रत्यर्थी को किया जाना बताया गया है। जिरह में इस साक्षी ने हरिशंकर से चार वर्षों से मनमुटाव होना बताया है तथा हरिशंकर द्वारा वादी/प्रत्यर्थी को अपीलार्थी के समक्ष राशि दी गई हो, इस तथ्य से इंकार किया है तथा राशि अदायगी बाबत रसीद नहीं लिए जाने के तथ्य को स्वीकार किया है। स्वयं डी.डब्ल्यू. 2 हरिशंकर ने भी वादी/प्रत्यर्थी को राशि अदायगी के क्रम में किसी प्रकार की रसीद वादी/प्रत्यर्थी से प्राप्त नहीं करने के तथ्य को स्वीकार किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने हरिशंकर के सम्बन्ध दोनों पक्षों से खराब होने एवं 30,000/–रूपये की राशि दिए जाने के बावजूद वादी से रसीद प्राप्त नहीं करने तथा केवल 150 गज की दूरी प्रतिवादी के मकान से वादी के ऑफिस के बीच होने से 30,000/ रूपये की राशि अपीलार्थी द्वारा वादी/प्रत्यर्थी को नहीं दिए जाने के क्रम में जो निष्कर्ष विवाद्यक संख्या 3 के क्रम में निकाला है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होना प्रकट होता है।

उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है एवं एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(महेन्द्र माहेश्वरी)
न्यायाधिपति